

Form No.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भुसावर

बृजेश बनाम राज. सरकार

किस्म मुकदमा. प्रा. पत्र धारा 136 LRA नं. 30 सन 2026 जीसीएमएस नं. 150

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.05.26	<p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 LRA के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होवे। अप्रार्थी की तलबी प्रार्थी द्वारा तलवाना पेश करने पर जरिए रजिस्टर्ड डाक से जारी होवे। पत्रावली दिनांक 20.05.2026 को पेश हो।</p>	
20-05-26	<p>(राधेश्याम मीणा) उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)</p> <p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपर उन्हे सुना गया। उन्होने अवगत कराया कि वकील ग्राम खेहरा, महमदपुर, जसबर की आराजीयाह में बृजेश दत्त पुत्र लालजी राजस्व कर्मचारियों की सहान गलती से दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में सही नाम बृजेश सेठी दत्त पुत्र लालजी सेठी है अतः प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जावे।</p> <p>हमने बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का गवीभारि अवलोकन किया गया। उनके आधार पर हत नाम शुद्ध किया जाकर उचित पाते है।</p>	

अतः प्राथमिक पत्र प्रेषी स्वीकार किया जाकर 70R, मुसावर को अधिष्ठित किया जाता है कि खाता संख्या 168 वाले महमदपुर, खाता संख्या 166 वाले ग्राम जसवर एवं खाता संख्या 118 वाले ग्राम खोहरा तह. मुसावर में प्राथी के गलत नाम बृजेश दत्तक पुत्र लालजी के स्थान पर बृजेश सैनी दत्तक पुत्र बालजी सैनी दुखस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील जाहज़ा दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मुसावर (भरतपुर) राज०